मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 114/2019 वाद

लक्ष्मी बाई पत्नी मांगीलाल माली, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।

– वादीया

//बनाम//

1. गोपाल लाल पिता रामचन्द्र माली, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
2. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीया कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 1528 का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है–

1– श्री गोपाल लाल पिता रामचन्द्र माली, निवासी देह के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
1528/1	0.3600	6.84

2– श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी मांगीलाल माली, सा. देह के रहेगी–

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
1528 मीन	0.3600	6.84

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 11.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:36:51 IST
Reason: SelfAttested